

राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर 302005

फोन नं: 0141-2228066 , 2228064

ई-मेल : mdrmsc@nic.in

सीआईएन. : U24232RJ2011SGC035067

Website: www.rmsc.health.rajasthan.gov.in

क्रमांक : प.05(पीएफ)/आरएमएससी/क्यू.सी./2025-26/ 1097

दिनांक : 18/8/2025-

आदेश

फर्म मैसर्स Centurian Remedies Pvt Ltd, G/5 & G/6, Industrial Estate, Gorwa, Vadodara-39001 से निविदा क्रमांक F.02(353)/RMSCL/PROCUREMENT/DRUG/NIB10/2022/1236 दिनांक 30-04-2022 के तहत औषधि Pirfenidone 200 mg Tab. I.P.[NRD-737] की आपूर्ति हेतु दर अनुबन्ध किया गया था। दर अनुबन्ध के आधार पर फर्म को उक्त औषधि सप्लाई करने हेतु क्रय आदेश क्रमांक 3042 दिनांक 19.07.2024 जारी किया गया था।

उक्त क्रय आदेश की पालना में सप्लाई की गयी औषधि को आरएमएससी की पंजीकृत प्रयोगशाला द्वारा जाँच कराये जाने पर औषधि का बैच (TP-1550007) Dissolution में अमानक कोटि का पाया गया।

उक्त बैच को पुनः जांच हेतु राजकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला में भिजवाया गया। राजकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला से औषधि के बैच (TP-1550007) की Dissolution में अमानक कोटि की रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण को अनुशासनात्मक समिति की बैठक दिनांक 06.06.2025 में रखा गया। फर्म को सुनवाई के लिये अवसर दिया गया। फर्म की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि को समिति द्वारा सुना गया तथा समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया तथा पाया कि फर्म द्वारा अमानक कोटि की औषधि आपूर्ति की गई है जो कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के प्रावधानों एवं भारत सरकार द्वारा जारी की गयी गाइडलाइन के तहत Not of Standard Quality की श्रेणी में हैं।

निविदा की शर्त संख्या 16(2)/19(3) के उल्लंघन के दोषी होने के कारण विवर्जन संबंधी दिशा-निर्देश (Guidelines for Blacklisting/Debarring) के सम्बन्ध में जारी निर्देश क्रमांक F.5/RMSC/QC/Test/2018-19/952 दिनांक 28/08/2018 के clause 4.6(1) के तहत निगम की अनुशासनात्मक समिति की अनुशंसा के आधार पर निर्माता फर्म M/s Centurian Remedies Pvt Ltd, G/5

Signature valid

Digitally signed by Pukraj Sen
Designation: Managing Director
Date: 2025.08.16 17:52:49 IST
Reason: Approver

RajKaj Ref No.:
16988116
eSign 1.0



& G/6, Industrial Estate, Gorwa, Vadodara-39001 की औषधि Pirfenidone 200 mg Tab. I.P. [NRD-737] को यह आदेश जारी करने की तिथि से 01 (एक) वर्ष के लिए विवर्जित (Debar) किया जाता है। उपरोक्त कार्यवाही पूर्व में जारी किये गये क्रयादेश/क्रय की गई अथवा रीप्लेसमेन्टशुदा प्रश्नगत औषधि, जो गुणवत्ता के मानकों के अनुरूप पाई जाती हैं, पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले की गई है।

(पुखराज सैन)
आई.ए.एस
प्रबन्ध निदेशक

क्रमांक : प.05(पीएफ)/आरएमएससी/क्यू.सी./2025-26/ 1097 दिनांक : 18/8/2025
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सहायक, मिशन निदेशक, एन.एच.एम. राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सहायक, आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण, निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, आर.एम.एस.सी.।
6. निजी सहायक, निदेशक, पी.एच./आर.सी.एच./एच.ए./ए.आई.डी.एस./एम.एस.यू. चिकित्सा एवं स्वा. निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सहायक, औषधि महानियंत्रक, भारत, नई दिल्ली।
8. निजी सहायक, औषधि नियंत्रक, राजस्थान/हिमाचल प्रदेश।
9. विशेषाधिकारी, आर.एम.एस.सी.।
10. कार्यकारी निदेशक (प्रोक्योरमेन्ट)/वित्त/एल/ई.पी.एम एवं उप.नि. (आई.टी) आर.एम.एस.सी.।
11. समस्त प्रभारी अधिकारी, जिला औषधि भण्डार, राजस्थान।
12. M/s Centurian Remedies Pvt Ltd, G/5 & G/6, Industrial Estate, Gorwa, Vadodara-39001
13. आदेश पत्रावली।

प्रबन्ध निदेशक

Signature valid
Digitally signed by Pukhraj Sen
Designation: Managing Director
Date: 2025.08.16 17:52:49 IST
Reason: Approved